न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–15/2020–21

नवाजिश नाज .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका नवाजिश नाज, पिता– इसराईल कोरैशी, पति– याकीब उर्फ अनु कोरैशी, साकिन– पीली कोठी, थाना + जिला– हजारीबाग हाल पता– साकिन– जरमुने, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **404 R27/2019-20** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	54	2213	25 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **404 R27/2019-20** में दिनांक 10.06.2020 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अस्वीकृत दाखिल–खारिज आवेदन केस नं0 175 वर्ष (2018–19) को पुनः आवेदित किया गया है। नियमानुसार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में अपील के लिए जाना था अतः इस दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित केवाला एवं अन्य कागजात की छाया प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **404 R27/2019-20** में दिनांक 10.06.2020 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

23/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

23/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)